MOU clause no. 12 Updation

दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड़
।पंजीकृत कार्यालय : घण्टाघर, उदयपुर।
। केन्द्रीय कार्यालय :जयपुर ।

कार्मिक प्रशासन विभाग
दिनांक :24.10.1994

अनुदेश परिपत्र सं. 46/पीईआर/8/3922/94
दिनांक 1.2.94 का हिन्दी रूपान्तर

विषय: बैंकों में पेंशन योजना का आरंभ

बैंकिंग उद्योग में पेंशन योजना लागू करने के लिये भारतीय बैंक संघ तथा अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ के मध्य 29.10.93 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

समझौते में, सेवारत बैंक कर्मियों हेतु, द्वितीय सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में, भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के बदले पेंशन का विकल्प लेने का प्रावधान किया गया है। बहरहाल, 1.11.93 को अथवा उसके पश्चात बैंक में आने वाले कर्मचारी, अंशदायी भविष्य निधि के बदले पेंशन योजना के ही पात्र होंगे। पेंशन योजना, बैंक के उन भूतपूर्व कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो 1.1.86 को अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हो, बशर्ते कि वे नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर प्राप्त ब्याज, आहरण की तिथि से लौटाने की तिथि तक, 6% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ बैंक को लौटा दें। बहरहाल, पेंशन उन्हें 1.11.93 से देय होगी। पेंशन योजना में, मूलपेंशन के 1/3 भाग के लघुकरण का भी प्रावधान है। यह पेंशन समझौता, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी व भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों हेतु पहले से ही लागू पेंशन योजना के अनुरूप ही है। बहरहाल, पेंशन की गणना करने के उद्देश्य से "वेतन" में मूल वेतन तथा 1.11.93 से सी.पी.आई. सूचकांक में 1150 बिन्दु की सीमा तक महंगाई भत्ते का एक भाग शामिल कियाजाएगा ।

पेंशन समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति भारतीय बैंक संघ के स्तर पर तैयार की जा रही है। इसलिये, योजना के क्रियान्वयन हेतु परिचालनगत निर्देश बैंक द्वारा यथासमय जारी किये जाएंगे।

सभी सम्बन्धितों की सूचना हेतु समझौते की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

एन वी मेहता

उप महाप्रबन्धक

संलग्न : यथोक्त

योजना का संक्षिप्त विवरण

जबकि:

(क) फरवरी, 1990 में कामगार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर हुई समझौता वार्ता के दौरान बैंकों में कामगार कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के बदले पेंशन योजना लागू करने के लिये भारतीय बैंक संघ सहमत हुआ था। भारतीय बैंक संघ द्वारा सहमत पेंशन योजना मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक पद्धति पर आधारित थी तथा जिसका विस्तृत विवरण तैयार किया जाना था।

(ख) पेंशन के लिये अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की शुरूआती मांग, अंशदायी भविष्य निधि व ग्रेच्युटी के अतिरिक्त तृतीय अधिवार्षिता लाभ के रूप में थी। अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान के बदले, द्वितीय सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन के भारतीय बैंक संघ के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक सोच-विचार करने के पश्चात, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने अन्ततः इस पर अपनी स्वीकृति दे दी लेकिन भविष्य निधि अंशदान तथा पेंशन के लिये महंगाई भत्ते की गणना की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की। बहरहाल, कर्मचारी भविष्य निधि व पेंशन की गणनाओं के लिये महंगाई भत्ते को "वेतन" के रूप में मानने के लिये भारतीय बैंक संघ तैयार नहीं था।

(ग) लम्बी अवधि की दीर्घकालिक समझौता वार्ताओं के पश्चात, दोनों पक्ष, औद्योगिक समन्वय के हित में एक दूसरे के दृष्टिकोण अपनाकर विवाद को सुलझाने के लिये सहमत हुए।

अतः एतद्द्वारा उपरोल्लिखित पक्षों द्वारा, उनके मध्य निम्नांकित सहमति की जाती है

1. अनुसूची 1 में उल्लिखित सदस्य बैंक अंशदायी भविष्य निधि के बदले द्वितीय सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में, पेंशन योजना उन सदस्य बैंकों के कामगार कर्मचारियों हेतु जहां फिलहाल यह योजना लागू नहीं है, 1 नवम्बर, 1993 से लागू करेंगे।

2. अंशदायी भविष्य निधि के बदले, द्वितीय सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन निम्नांकित श्रेणी के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, 1 नवम्बर, 1993 अथवा सेवानिवृत्ति की दिनांक, जो भी बाद में हो, से मिलेगी।

क. 1 नवम्बर, 1993 अथवा उसके पश्चात बैंक में आने वाले कर्मचारी

ख. 31 अक्टूबर, 1993 को बैंक में सेवारत कर्मचारी तथा जो 30 जून, 1994 को अथवा इससे पूर्व बैंक द्वारा 31 दिसम्बर, 1993 से पूर्व दिये गए इस आशय के नोटिस के प्रत्युत्तर में, पेंशन योजना का सदस्य बनने, तथा 1 नवम्बर, 93 से अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य न रहने हेतु अपना लिखित विकल्प दें तथा बैंक अथवा अंशदायी भविष्य निधि न्यासियों को बैंक का सम्पूर्ण अंशदान तथा उस पर उपचित सम्पूर्ण ब्याज, इस उद्देश्य से गठित पेंशन निधि में जमा करने हेतु स्थानान्तरित करने के लिये अविकल्पी रूप से अधिकृत करें।

... 2

ग. वे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो, 31दिसम्बर, 1985 अथवा इसके बाद बैंक/विलीन हुए बैंक की सेवा में थे तथा जो 1जनवरी, 1986 अथवा उसके पश्चात, लेकिन 1नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए हों, बशर्ते कि, ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मचारी, प्रत्येक बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर स्वयं आवेदन करें तथा भविष्य निधि में बैंक का सम्पूर्ण अंशदान व उस पर प्राप्त ब्याज, प्राप्ति की दिनांक से लौटाने की दिनांक तक 6% वार्षिक साधारण ब्याज सहित, 1नवम्बर, 1993 से छ: माह की अवधि के भीतर बैंक को लौटा दें।

घ. वेतनमान तनख्वाह पाने वाले स्थाई अंशकालिक कर्मचारी

टिप्पणी –

जहां कहीं, किसी अन्य बैंक में, तो पी एफ/पेंशन/ ग्रेच्युटी युक्त अधिवर्षिता लाभों का विद्यमान अथवा सहमत पैकेज, इस समझौते के तहत ग्रेच्युटी व पेंशन युक्त पैकेज से उच्चतर है, वह बैंक अपनी यूनियन की संस्वीकृति से अपने विद्यमान अथवा सहमत सेवानिवृत्ति लाभों के पैकेज को जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।

3. पेंशन, सेवानिवृत्ति पर, उन स्थाई कर्मचारियों को देय होगी, जिन्होंने बैंक में अथवा किसी नए बैंक में विलय होने से पूर्व, पूर्ववर्ती बैंक में, निम्नतम 10 वर्ष का अर्हक सेवाएं पूर्ण की होंगी। पूर्ववर्ती बैंक में दी गई सेवाएं भी नए बैंक में पूर्ण की गई मानी जाएंगी। बहरहाल, अर्हक सेवाओं की आवश्यकता, कर्मचारी सेवाओं में रहने के दौरान मृत्यु हो जाने पर, परिवार पेंशन लेने के मामले में लागू नहीं होगी।

4. मूल पेंशन की दर, पेंशन योजना में परिभाषित औसत वेतन की 50% होगी, जो पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में न्यूनतम रू. 375/- प्रतिमाह तथा वेतनमान तनख्वाह पाने वाले स्थाई अंशकालिक कर्मचारी के मामले में आनुपातिक राशि होगा।

5. तैंतीस वर्ष की पूर्ण की गई सेवाएं पूर्ण पेंशन के लिये अर्हक होंगी।

********* 20 वर्ष की वास्तविक सेवाएं पूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की अर्हक सेवा, अधिकतम 5 वर्ष बढाई जाएगी, ताकि 60 तक बहरहाल, ऐसे कर्मचारी की कुल अर्हक सेवाएं, किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष से अधिक न हो पाएं तथा उसे अधिवर्षिता की दिनांक से आगे न ले जाएं।

6. पेंशनरों को महंगाई भत्ता ऐसी दरों पर स्वीकृत किया जाएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक में प्रचलित महंगाई भत्ता फार्मूला के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

********* योजना में शामिल किये जाने वाले प्रावधानों के अनुसार 3
20 वर्ष की पूर्ण की गई सेवाओं के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी।

7. कोई पेंशनर, अपनी मूल पेंशन के एक तिहाई भाग को लघुकृत करने का हकदार होगा।

बहरहाल, महंगाई राहत, लघुकरण के बाद भी पूर्ण मूल पेंशन पर प्रदान की जाएगी।

8. वे शर्तें, जिन पर पेंशन पूर्णत: अथवा भागत: रोकी अथवा आहरित की जा सकती है, इस समझौते के निबन्धनों के तहत बनाई जाने वाली योजना में निर्धारित की जाएंगी।

9. पेंशन योजना के प्रशासन के लिये प्रत्येक सदस्य बैंक एक लोक न्यास सृजित करेगा तथा ऐसे न्यासियों व अन्य स्टाफ जो उपयुक्त समझे जाएं, को नियुक्त करेगा। पेंशन योजना आयकर अधिनियम, 1962 व भारतीय लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी।

10. पेंशन योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारी, 1नवम्बर, 1993 से केवल मूल वेतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान करेंगे तथा नियोक्ता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा।

11. प्रत्येक मामले में पेंशन का वास्तविक भुगतान 1 नवम्बर, 1993 से ही आरंभ होगा।

12. प्रयोज्यता, अर्हक सेवा, पेंशनराशि, पेंशन का भुगतान, पेंशन का लघुकरण, परिवार पेंशन, तथा अन्य सामान्य शर्तों के लिये प्रावधान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक में प्रचलित योजना के अनुसार एक योजना बनाई जाएगी, जिसके सम्बन्ध में, इस समझौते के पक्षकारों के मध्य 31दिसम्बर, 1993 तक वार्ताएं व समझौता किया जाएगा।

13. उपरोक्त पैरा 10 में जो कुछ कहा गया है, उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना तथा देसाई अवार्ड के पैरा 7.25 से 7.27 के आंशिक संशोधन में, व 31 अक्टूबर, 1993 को बैंक के रोल पर रहे कर्मचारियों के मामले में, उनमें किये गए अनुवर्ती संशोधनों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, अंशदायी भविष्य निधि व पेंशन की गणना के लिये "वेतन" में 1150 बिन्दुओं (सी.पी.आई. 1960-4बिन्दु स्लैब) तक का महंगाई भत्ता घटक शामिल किया जाएगा।

बहरहाल, ग्रेच्युटी अथवा अन्य किसी उद्देश्य के लिये इसे शामिल नहीं किया जाएगा। 1नवम्बर, 1993 तथा इसके पश्चात 1150 से अधिक बिन्दुओं पर भुगतान योग्य महंगाई भत्ता, अधिवर्षिता लाभों अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं गिना जाएगा, जब तक कि अवार्ड/द्विपक्षीय समझौतों के वर्तमान प्रावधानों में से किसी में अन्यथा न कहा गया हो।

14. इसकी शर्तों व निबन्धनों से, सभी पक्षकार, तबतक शासित व प्रतिबद्ध होते रहेंगे, जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, उपयुक्त समय पर, विधि सम्मत सांविधिक नोटिस देकर समझौते को समाप्त न कर दिया जाए।

... 4

15. कामगार कर्मचारियों की ओर से ए आई बी इ ए ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि इस समझौते के अस्तित्व में रहते हुए इस समझौता ज्ञापन में आवृत्त मामलों के सम्बन्ध में, वह किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं उठाएंगे।

16. समझौता ज्ञापन की प्रतियां, पक्षकारों द्वारा, औद्योगिक विवाद ।केन्द्रीय। नियम, 1957 के नियम 58 में यथोक्त प्राधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रेषित की जाएंगी ताकि उनकी शर्तें और निबन्धन पक्षकारों पर बाध्यकारी हो, जैसाकि विधि में उपबन्धित किया गया है।

17. यदि इस समझौते के किसी भी प्रावधान की व्याख्या से सम्बन्धित कोई मत विभिन्नता हो तो इसे विचार विमर्श व समझौते हेतु केवल भारतीय बैंक संघ व अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के स्तर पर ही उठाया जा सकेगा।

-x-x-x-